

अनुमंडल पदाधिकारी -सह- अनुमंडल दण्डाधिकारी का कार्यालय,
खोरीमहुआ (गिरिडीह)

ई-मेल : sdm-khorimahua@jarkhandmail.gov.in

ज्ञापांक : 15.4.2.1470

दिनांक : 14/08/2025

प्रेषक,

अनुमंडल पदाधिकारी,
खोरीमहुआ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-नोडल पदाधिकारी,
आर.टी.ई., गिरिडीह।

विषय : दिल्ली पब्लिक स्कूल, राजधनवार के लिए बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(7) के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु।

प्रसंग : आपके कार्यालय से पत्रांक- 839, दिनांक- 07.07.2025

महोदय,

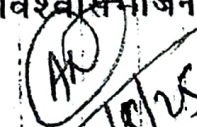
उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में दिल्ली पब्लिक स्कूल, राजधनवार के संदर्भ में अंचल अधिकारी, धनवार से स्थल निरीक्षणोपरांत जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था।

अंचल अधिकारी, धनवार द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-914/रा०, दिनांक-14.08.2025 के माध्यम से उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन से प्रतिवेदित किया है कि उक्त विद्यालय परिसर किसी भी सरकारी भूमि, वन भूमि, गैरमजरूआ भूमि अथवा अन्य किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित भूमि पर अतिक्रमण कर स्थापित नहीं है। साथ ही, भूमि के स्वामित्व एवं उपयोगिता का सत्यापन करते हुए यह पुष्टि की गई है।

अतः, अंचल अधिकारी, धनवार द्वारा प्रदत्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए, विषयानुरूप अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन


अनुमंडल पदाधिकारी,
खोरीमहुआ।